एक नजर में

खजराना गणेश को राखी अर्पित की

इंदौर. विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति मालवा प्रांत इंदौर विभाग के जगन्नाथ जिले में मातृशक्ति बहनों द्वारा सेवा सुरक्षा संस्कार सत्संग के भाव लेकर खजराना गणेश मंदिर में 2 फीट की राखी प्रभु के श्री चरणों में अर्पित की. वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लव जिहाद जैसी घटना को रोकने हेतु प्रभु से प्रार्थना की. साथ ही हिंदू बेटियो को भी बहने यह संदेश देना चाहती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार है. लगातार देखने में आया है कि विधर्मी पहले हिंदू बेटियों से राखी बंधवाते हैं और फिर उन्हें लव जिहाद का शिकार करते हैं. अत: सभी हिंदू बेटियों से आग्रह है कि वह विधर्मियों से दूर रहे एवं लव जिहाद जैसी घटना से बचें. मातृशक्ति मालवा प्रांत संयोजिका आरती अजय जायसवाल के साथ जिला अध्यक्ष एवं मातृशक्ति पालक कृष्ण वर्मा ,मातृशक्ति जिला संयोजिका नम्रता बैरागी, तुलसा प्रजापत, प्रनिता दीक्षित, मीना भावसार, अंजू रावल एवं बजरग दल जिला जग्गन्नाथ प्रमुख लकी रघुवंशी जी अन्य बहने उपस्थित रही. व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु बजरंग दल जिला संयोजक लकी रघुवंशी, सह मंत्री विजय पटेल जी के साथ बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

अमिझरा श्रीजी की डोल यात्रा निकली

इंदौर. मातृ हरदया अमित गुना श्रीजी महाराज साहब की सुशिष्या सरल स्वभावी मधुर कंठी अमीझरा श्रीजी की अंतिम डोल यात्रा अमित आराधना भवन हाई लिंक सिटी से रविवार सुबह प्रारंभ होकर पंचकुइया पहुँच कर दाह क्रिया संपन्न किया. हजारो भक्तों ने गुरुदेव को जय जय नंदा जय जय भद्दा के नारों के साथ अपने गुरुवर्या को अंतिम बिदाई दी. डोल यात्रा से पहले आचार्य भगवंत विश्व रत्न सूरीश्वरजी, आचार्य भगवंत मृदु रत्न सूरीश्वरजी, आचार्य भगवंत पीयूष भद्र सूरीश्वरजी आदि श्रमण,श्रमणी भगवंत ने मांगलिक अंतिम मांगलिक सुनाकर बिदाई दी. श्री धरणीधर पार्शनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट एवं श्री संघ हाईलिंक सिटी द्वारा गुणानुवाद सभा अमित आराधना भवन हाईलिंक सिटी पर सुबह 9.15 बजे रखी गई है.

महेश्वर पिकनिक गए दोस्त, सहस्त्रधारा में दो डूबे

एक का शव मिला, दूसरे की तलाश में जुटी पुरी टीम

इंदौर. महेश्वर के प्रसिद्ध सहस्त्रधारा जलप्रपात पर रविवार शाम घूमने गए इंदौर के 11 युवकों में से दो गहरे पानी में डूब गए. हादसे में एमआर-10 निवासी 19 वर्षीय कुणाल कैथवास का शव बरामद हो गया, जबकि हीरानगर निवासी साहिल खान का कोई सुराग नहीं लग पाया. अंधेरा होने के कारण रविवार रात तलाशी अभियान रोक दिया गया था, जिसे सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि शाम करीब पांच बजे सभी दोस्त पिकनिक मनाने के बाद भोजन की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान कुणाल और साहिल नहाने पर अड़ गए. पहले तो साथियों ने मना किया, लेकिन कुछ देर बाद दोनों पानी में उतर गए. वहां मौजूद शुभम चौहान ने पुलिस को बताया कि नहाते-नहाते वे गहराई में चले गए और एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में खुद फंस गए. शुभम ने उन्हें खींचने का प्रयास किया, लेकिन खुद भी पानी में डूबने लगा. तभी पास खड़े आशीष ने नाव से रस्सी फेंककर शुभम को बाहर निकाला. इस बीच कुणाल और साहिल पानी में गायब हो गए. ग्रामीणों की मदद से कुणाल को बाहर निकालकर सीपीआर दी गई, लेकिन उसकी जान नहीं बची. पुलिस और गोताखोरों ने साहिल की तलाश शुरू की, जो रात तक जारी रही.

कुणाल कैथवास, मृतक | साहिल खान, लापता

फैब्रिकेशन दुकान में करता था काम

साहिल के चाचा ने पुलिस को बताया कि वह 12वीं पास करने के बाद शहर की एक फैब्रिकेशन दुकान में काम करता था. खुशमिजाज और मददगार स्वभाव का साहिल अपने पिता के साथ मुंबई जाकर काम करने की योजना बना रहा था. घर में मां नसरीन और पिता हैदर खान का रो-रोकर बुरा हाल है. कुणाल के पिता सुंदरलाल कैथवास पेशे से ड्राइवर हैं. रविवार शाम जब वे उज्जैन से लौटे और बेटे को फोन लगाया, तो कॉल थाने से किसी ने उठाया और बताया कि कुणाल अस्पताल में है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई. मामले में पुलिस अब सुबह होने पर फिर से रेस्क्यू अभियान चलाएंगी.

छुरा लेकर घूम रहे सलमान खान को पुलिस ने दबोचा

इंदौर. शहर में पुलिस ने शनिवार को अवैध हथियार रखने के चार अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया. सभी के पास से धारदार चाकू व छुरे बरामद किए गए हैं.

कनाड़िया थाना पुलिस ने एचआर रिसॉर्ट के पास आर्यन मछार को पकड़ा, जिसके कब्जे से खटकेदार चाकू बरामद हुआ. वहीं, दूसरी कार्रवाई में गज्जू डावर को गिरफ्तार किया, जिसके कमर से लोहे का धारदार छुरा मिला. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में कल्याण मील मेन रोड पर पुलिस ने रवि उर्फ डेनी राजपूत से तड़तड़ीदार चाकू जब्त किया. आरोपी के पास हथियार रखने का कोई लाइसेंस नहीं था. खजराना पुलिस ने देर रात स्टार चौराहा सर्विस रोड पर मोहम्मद सलमान को पकड़ा, जिसके पास से 13 इंच लंबा धारदार छुरा बरामद किया. सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. इसी तरह भंवरकुआं पुलिस ने एक युवक को गुप्ती के साथ गिरफ्तार किया. वह सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैला रहा था. मुखबिर से सूचना मिली थी कि भंवरकुआं चौराहे के पास एक युवक हाथ में गुप्ती लेकर घूम रहा है. बताए गए हुलिए के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा. पूछताछ में उसने अपना नाम सन्नी पिता ताराचंद्र मानकर, निवासी हरन्या खेड़ी, काकंड, किशनगंज बताया. सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूछताछ कर रही है.

एक तड़तड़ीबाज भी पकड़ाया
चार युवक हथियार सहित बंदी

अखंड रामायण पाठ समापन, मंडली का सम्मान

इंदौर. धार रोड स्थित धरावरा धाम आश्रम पर महंत शुकदेव महाराज के सानिध्य में श्रावण मास के उपलक्ष्य में गत 11 जुलाई से चल रहे अखंड रामायण पाठ का विराम रविवार को सौल्लास संपन्न हुआ.

अखंड पाठ अयोध्या के प्रख्यात रामायणी पं. अनुरागदास एवं उनकी टीम के 9 सदस्यों द्वारा किया जा रहा था. ढोलक, हार्मोनियम ओर तबले की संगत पर यह आयोजन पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बना रहा. इसकी पूर्णाहुति आज क्षेत्र के ग्रामीणों एवं आश्रम से जुड़े भक्तों की मौजूदगी में संपन्न हुई. इस अवसर पर आश्रम प्रबंध समिति के डॉ. सुरेश चौपड़ा, सुधीर अग्रवाल, ललित अग्रवाल, सीताराम नरेड़ी, नानूराम चौधरी, प्रकाश पटेल, मनोहर चौधरी एवं दिनेश गर्ग सहित सैकड़ों भक्तों ने अयोध्या से आए पं. अनुरागदास रामायणी एवं अन्य सहयोगी बंधुओं का स्वागत किया. महंत शुकदेव दास महाराज के सानिध्य में अयोध्या के सभी रामायणी पाठकों को शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया.

जगमगा उठे शहर के 70 श्वेताम्बर जैन मंदिर

नवरत्न परिवार, जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ एवं जैन श्वेताम्बर श्रीसंघ के आव्हान पर सभी जिनालयों का एक साथ शुद्धिकरण

इंदौर. नवरत्न परिवार, जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ एवं जैन श्वेताम्बर श्रीसंघ के तत्वावधान में शहर के 70 श्वेताम्बर जिनालयों में रविवार को एक साथ सफाई एवं शुद्धिकरण अभियान बड़े उत्साह के साथ चलाया गया. शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित कालानी नगर, पीपली बाजार, रतनबाग, महावीर बाग, पूर्वी क्षेत्र में तिलक नगर एवं वल्लभ नगर सहित अन्य जिनालयों में बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाओं ने सपरिवार पहुंचकर अपने आराधना स्थलों को शास्त्रोक्त सामग्री से साफकर चकाचक बनाया.

सत्रह से पचपन वर्ष आयु के समाजबंधु इस अभियान में शामिल हुए. युवा, महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं रहीं. देश के 2 हजार मंदिरों में यह अभियान एक साथ, एक ही दिन एक ही समय पर रविवार को चलाया गया. नवरत्न परिवार के प्रमुख संयोजक ललित सी. जैन, सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन एवं अभियान प्रभारी प्रीतेश ओस्तवाल, मनीष सुराना, मालवा महासंघ के दिलसुखराज कटारिया, दीपक सुराना, शैलेन्द्र नाहर ने बताया कि मालव भूषण नवरत्न सागर सूरीश्वर म.सा. की प्रेरणा एवं विश्वरत्न सागर सूरीश्वर म.सा. के मार्गदर्शन में 14 वर्ष पूर्व यह अभियान सारे देश के जिनालयों में शुरू किया गया था. इस बार भी सुबह से शहर के सभी जैन श्रीसंघों की मेजबानी में अपने-अपने क्षेत्र के युवा तथा महिला श्रद्धालु विशेष पूजा वस्त्रों में मंदिरों तक पहुंचे और मंदिरों की सभी प्रतिमाओं, पूजा सामग्री के स्थानों, दीवारों एवं फर्श से लेकर सभी स्थानों की सफाई के लिए शास्त्र सम्मत साधनों की किट्स का प्रयोग कर यह अभियान चलाया गया. पूरे देश के 2 हजार जिनालयों में भी आज ही यह अभियान एकसाथ पूरा हुआ.

विभिन्न युवा एवं महिला संगठनों और जैन श्रीसंघों के सदस्यों के सहयोग से यह अभियान संपन्न हुआ. सकल जैन श्रीसंघों की ओर से इस अभियान में अपने-अपने क्षेत्रों के जिनालयों तक जुलूस निकालकर मंदिरजी तक की यात्रा के बाद जिनालयों के शुद्धिकरण में करीब 3 हजार से अधिक समाजबंधु शामिल हुए. नवकार परिवार एवं नवरत्न परिवार के 300 कार्यकर्ता भी मार्गदर्शन एवं सेवा के लिए मौजूद थे. शहर के पीपली बाजार, कालानी नगर, तिलक नगर, जानकी नगर, विजय नगर, क्लर्क कालोनी, रतनबाग, गुमाश्ता नगर, अंजनी नगर, वल्लभ नगर सहित सभी श्रीसंघों के जिनालयों में यह अभियान सुबह से एकसाथ शुरू हुआ और सफाई पूरी होने तक चलता रहा.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चो सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री किशोर, श्रीमती ललिता सोलंकी किशोर प्लंबर (प्रॉस्पेक्ट सं. आईएल10268601)	मकान संख्या 46 का वह पूरा टुकड़ा, जो ग्राम बुदनियापाठ (चंद्रावतीगंज), तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 में स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 400.00, 638.00, 450.00	रु.410895/- (रुपए चार लाख दस हजार आठ सौ पिंच्यानवे मात्र)	14-02-2025	06-08-2025
श्री संजय मगरे, मा. अनिता बाई संजय दूध डेयरी (प्रॉस्पेक्ट सं. आईएल10375045)	पटवारी हल्का संख्या 17, खसरा संख्या 64, मोरदरकला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश 450331 का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 1092	रु. 442511/- (रु. चार लाख बयालीस हजार पांच सौ ग्यारह मात्र)	09-04-2025	06-08-2025
श्री संदीप सिंह वर्मा श्रीमती ज्योति वर्मा दूध डेयरी (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10501317)	पटवारी हल्का संख्या 32, वार्ड संख्या 13, मकान संख्या 219, खसरा संख्या 412, ग्राम बुदासा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश, 455115, भारत में स्थित. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 900.00, 821.00, 656.00	रु. 445999/- (रुपये चार लाख पैंतालीस हजार नौ सौ निन्यानवे मात्र)	07-04-2025	06-08-2025
रितिक जी कुमारी रचना परमार श्री जीवन बिजनेस (प्रॉस्पेक्ट सं. आईएल10607803)	पटवारी हल्का संख्या 02, मकान संख्या 87 का वह पूरा टुकड़ा, ग्राम हंसाखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 453551 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, अति निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल- 480.00, 460.00, 300.00, 368.00।	रु. 448838/- (रुपये चार लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अड़तीस मात्र)	02-04-2025	06-08-2025
श्री महेंद्र कुमार भावसार श्रीमती सरोज भावसार श्रुति एंटरप्राइजेज (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10632513)	फ्लैट संख्या 402, चौथी मंजिल, भवन संख्या E-1, ट्रेजर विहार, सर्वे संख्या 795/1, बिजलपुर गाँव, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 452020 का वह सभी टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 731.00, 111.00	रु. 2394709/- (रु. तेईस लाख चौरानवे हजार सात सौ नौ मात्र)	16-05-2025	06-08-2025
प्रकाश जी कुमारी जशोदा बाई (प्रॉस्पेक्ट सं. आईएल10676102)	पीएचएन 19, पट्टा संख्या 2017, खसरा संख्या 284, प्लॉट संख्या 20, आजमाबाद, नाग महाराज मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456441 - भारत का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 1200.00, 1000.00 -	रु.369509/- (रुपये तीन लाख उनहत्तर हजार पांच सौ नौ मात्र)	08-04-2025	06-08-2025
श्रीमती रेणु अग्रवाल श्री रोहित कुमार अग्रवाल (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10001104)	प्लॉट संख्या - A 503, ईडन गार्डन, सर्वे.संख्या 414/1/2, गाँव पिगडम्बर, एबी रोड राव, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453331, भारत का वह पूरा टुकड़ा क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- कार्पेट एरिया, सुपरबिल्ट-अप एरिया संपत्ति का क्षेत्रफल- 510.00, 686.00	रु.1298398/- (रुपये बारह लाख अन्ठानवे हजार तीन सौ अन्ठानवे मात्र)	28/02/2025	06/08/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: प्रथम तल, 29, निकास चौराहा, अंकपथ मार्क, नई सड़क उज्जैन म.प्र.-456001/226, ग्राउंड फ्लोर, ए.बी. रोड अपोजिट चामुंडा माता मंदिर, देवास-455001/102-103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक : 11-8-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

उपलब्धि — सहरिया, बैगा, भारिया परिवारों को मिल रहा योजनाओं का सीधा लाभ

जनमन योजना से जनजातीय बसाहटों में तेजी से विकास

भोपाल, 10 अगस्त. जनजातीय बसाहटों को आधारभूत सुविधाओं से संपन्न बनाने और जनजातीय परिवारों में खुशियां लाने मध्यप्रदेश ने पीएम जनमन योजना में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है.

प्रदेश में पीएम जनमन योजना में 5800 जनजातीय बसाहटों में रह रहे 2 लाख 62 हजार से ज्यादा सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है. आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता, आयुष्मान भारत, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड देने में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है. वे हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ लेने में इन दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुउद्देशीय केंद्र, हर घर नल से जल, हर घर बिजली, सबको पोषण, सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, गांव-गांव मोबाइल नेटवर्क, वन धन विकास केंद्र बनाने जैसी परिवर्तनकारी योजनाओं को इन बसाहटों में क्रियान्वित किया जा रहा है. इसकी जिम्मेदारी योजनाओं से संबंधित विभागों को दी गई है. इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है. जनजातीय परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में शिवपुरी जिला न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश में आगे है. यहां 16 हजार से ज्यादा आवास बन चुके हैं. शहडोल में 10711, श्योपुर 7639, उमरिया में 6410, छिंदवाड़ा में 5479 मंडला में 5446 आवास बने हैं. अन्य जिलों में विभिन्न स्तरों पर तेजी से काम चल रहा है.

मोबाइल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाते हुए 15 जिला में उपयुक्त स्थान पर 4जी मोबाइल नेटवर्क दिया जा रहा है. टावर के लिये स्थान चिन्हित कर लिये गये हैं. इसके अलावा वन एवं तकनीकी शिक्षा विभागों द्वारा 11 जिलों में 83 वन-धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं. इससे 5000 जनजातीय हितग्राही जुड़े हैं. सभी को उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वन-विकास केंद्र का बिजनेस प्लान बनाने में प्रशिक्षण दिया गया है.

हर घर नल से जल : हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 4843 बसाहटों में रह रहे 12 लाख 30 हजार घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है. अब तक 8,43,258 घरों में नल से जल पहुंच रहा है. शेष घरों में दिसंबर माह तक पहुंच जाएगा.

> सड़क सुविधा : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1570 बसाहटों में 2265 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य है. राष्ट्रीय ग्रामीण अधोसंरचना विकास ऐजेंसी को 269 किमी की 117 सड़कें बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है. हाल में 739 किमी लंबाई की 377 सड़कों की स्वीकृति मिल गई है. इनके निर्माण के लिये टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा 17 जिलों में 125 बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण का काम चल रहा है. सबसे ज्यादा 33 शिवपुरी और 24 श्योपुर में बन रहे हैं.

गलत इलाज के आरोप पर महिला के घर हंगामा

कार और खिड़कियों के शीशे तोड़े

इंदौर. गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के घर पर हंगामे का मामला सामने आया. आरोप है कि एक व्यक्ति और उसके साथी गलत इलाज के आरोप को लेकर महिला के घर पहुंचे, गाली-गलौज की, घर में घुसने की कोशिश की और तोड़फोड़ कर दी.

कल्याण संपत निवासी वंदना पंवार ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र जैन और उसके साथी जोर-जोर से चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे. जब उन्होंने वजह पूछी तो धर्मेंद्र ने उनके पति पर अपने लड़के का गलत इलाज करने का आरोप लगाया और उन्हें घर से बाहर निकालने को कहा.

वंदना ने बताया कि उस समय उनके पति घर पर नहीं थे, यह कहने पर आरोपी भड़क गए और घर में घुसकर हमला करने की कोशिश की. महिला के अनुसार, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद धर्मेंद्र और उसके साथियों ने घर की खिड़कियों के शीशे और बाहर खड़ी उनकी कार एमपी 09 डीबी 0420 के आगे-पीछे के कांच डंडों से तोड़ दिए. गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, गाली-गलौज व तोड़फोड़

इंदौर. सिमरोल थाना क्षेत्र के खंडवा रोड स्थित तलाईनाका भारत पेट्रोलियम पंप पर तीन युवकों ने कर्मचारी से मारपीट कर गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ की. फरियादी बलराम कनासिया निवासी जमनिया, हाल सिमरोल ने बताया कि रात करीब 2.45 बजे सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार से तीन युवक पंप पर पहुंचे और पेट्रोल डालने को कहा. फरियादी ने बिजली न होने के कारण कुछ देर रुकने को कहा, जिस पर आरोपियों ने अश्लील गालियां देना शुरू कर दीं. मना करने पर उन्होंने हाथ-पांव से मारपीट की और पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर दी. इस दौरान सागर पटेल की आल्टो कार का शीशा टूट गया और पेट्रोल-डीजल मशीनों की डिस्प्ले क्षतिग्रस्त हो गई. जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी. फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरु की.

एमडी ड्रग्स के साथ दो युवक गिरफ्तार

इंदौर. जूनी इंदौर पुलिस ने देर रात कर्बला मैदान दरगाह के पास दीवार किनारे से दो युवकों को अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा. आरोपियों के पास से 9.81 ग्राम एमडी, एक रॉयल एनफील्ड बाइक और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में दो युवक ड्रग्स लेकर खड़े हैं. इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर शेख बिलाल निवासी मीना पैलेस, 90 लाख पुलिया के पास, आजाद नगर और मोहम्मद नदीम निवासी वाटर पंप के पास, आजाद नगर को पकड़ा.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)

(CIN- L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना

स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उसके द्वारा प्राप्त स्वर्ण आभूषण के विरुद्ध ऋण सुविधा के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है. हम **19/8/2025** को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं. यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई घाटा होता है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
163363650	लकी मालवीय	इन्दौर क्लॉथ मार्केट

नीलामी 19/08/2025 को दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक https://idfcegold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन / 19/08/2025 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक http://gold.samil.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित उधारकर्ताओं को अंतिम सूचना और अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सुविधा वापस ली गई राशि, सभी ब्याज और शुल्कों के साथ चुका दें, अन्यथा आभूषण की नीलामी की जाएगी. कृपया ध्यान दें कि यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर उन्हीं नियमों और शर्तों पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की फिर से नीलामी करेगा.

दिनांक- 11/8/2025, स्थान- इन्दौर

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (अनुच्छेद -IV A) (नियम 8 (6)

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपति की बिक्री. जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री ललित चौरसिया 2. चौरसिया रेडीमेड गारमेंट्स 3. श्रीमती शैफाली ललित चौरसिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 811546, 920881)	17 जनवरी, 2024 और रु. 6,55,635/- (रु. छह लाख पचपन हजार छह सौ पैंतीस मात्र)	फ्लैट संख्या 110, प्रथम तल, आशुतोष अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 3, श्री रामकमल रेजीडेंसी, सर्वे संख्या 35/3/2, ग्राम नेनोद, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453112, संपत्ति का वह समस्त भाग।	25 मार्च 2025	रु. 7,04,000/- (रु. सात लाख चार हजार मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- अतिनिर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 351.00, 280.00	कुल बकाया राशि 25 जुलाई 2025 को रु. 8,32,320/- (रु. आठ लाख बतीस हजार तीन सौ बीस मात्र)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 70,400/- (रु. सत्तर हजार चार सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
25 अगस्त 2025 11.00-14.00 बजे	26 अगस्त 2025 के 5.00 बजे तक	28 अगस्त 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका:- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट:-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए:-** login https://www.iiflonehome.com >My bid>Pay Balance Amount

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 11-8-2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड